



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 33 | नई दिल्ली, अगस्त 9-अगस्त 15, 2009, शनिवार/श्रावण 18-श्रावण 24, 1931
No. 33 | NEW DELHI, AUGUST 9-AUGUST 15, 2009, SATURDAY/SRAVANA 18-SRAVANA 24, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2009

का.आ. 2156.—केंद्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य सरकार, गृह विभाग की अधिसूचना सं. 361/एचएससी/2009 द्वारा प्राप्त सहमति से श्री अविनाश कुमार द्वारा संचित बेंगलूर सम्मति के तथाकथित आरोप और किन्हीं अन्य उपर्युक्त उल्लिखित अपराधों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत उनके द्वारा किए गए अपराधों और/अथवा अन्य अधिनियमों के तहत अपराधों के संबंध में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) संगठित 13(1)(घ) के संबंध में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) पठित 13(झ)(ड) के तहत जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार एतद्वारा सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य पर करती है।

[सं. 228/41/2009-ए.वी.डी. II]

चन्द्र प्रकाश, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 31st July, 2009

S.O. 2156.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 5, read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this Notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri S. K. Brahmhatt, Competent Authority, Vadinar-Bina Crude Oil Pipeline Project, Bharat Oman Refineries Limited, 18, Shantinivas Society, Prabha Road, Godhra-389001 (Gujarat).

SCHEDULE

Tehsil : Savli District : Vadodara State : Gujarat

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area in Hectare
1	2	3	4
1.	Varsada	134/1	00.0568
		105/63A	00.0822
		105/63B	00.0267
2.	Jambugoral	173	00.0175

[F. No. R-31015/22/2009-OR-II]

A. GOSWAMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2009

का.आ. 2172.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में वाडीनार से मध्य प्रदेश राज्य में बीना तक क्रूड ऑयल के परिवहन हेतु भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और, केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में, जो इससे उपरोक्त अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, इस खरीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर उक्त भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के संबंध में श्री एस. के. ब्रह्मभट्ट, सक्षम अधिकारी, वाडीनार बीना क्रूड ऑयल पाइपलाइन परियोजना, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, 14, 14-ए, कृष्णा बंग्लोज, प्रहलादनगर,

अहमदाबाद-380051, (गुजरात) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील : मातर जिला : खेड़ा राज्य : गुजरात

क्र.सं.	गांव का नाम	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4
1.	असामली	457	00.1328
		483/2	00.0315
2.	असलाली	82/बी	00.0444
3.	त्रान्जा	82	00.0400
4.	हेरंज	567	00.0427
5.	खांघली	12	00.0740
		322	00.0481
		354	00.1456
		335	00.0175
		361	00.0369
6.	मलियातज	59	00.0208

[फा. सं. आर.-31015/27/2009-ओआर-II]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 13th August, 2009

S. O. 2172.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for transportation of Crude oil from Vadinar in the State of Gujarat to Bina in the State of Madhya Pradesh, a pipeline should be laid by Bharat Oman Refineries Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this Notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri S. K. Brahmhatt, Competent Authority, Vadinar-Bina Crude Oil Pipeline Project, Bharat Oman Refineries Limited, 14 & 14-A, Krishna Bungalow, Near Prahladnagar, B/h. V.S.N.L., Bldg., Ahmedabad-380051 (Gujarat).

SCHEDULE

Tehsil : Matar District : Kheda State : Gujarat

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area in Hectare
1	2	3	4
1.	Asamali	457	00.1328
		483/2	00.0315
2.	Aslali	82/B	00.0444
3.	Tranja	82	00.0400
4.	Heranj	567	00.0427
5.	Khandhli	12	00.0740
		322	00.0481
		354	00.1456
		335	00.0175
		361	00.0369
6.	Maliyataj	59	00.0208

[F. No. R-31015/27/2009-OR-II]

A. GOSWAMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2009

का.आ. 2173.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में वाडीनार से मध्यप्रदेश राज्य में बीना तक क्रूड ऑयल के परिवहन हेतु भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और, केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के संबंध में श्री एस. के. ब्रह्मभट्ट, सक्षम प्राधिकारी, वाडीनार बीना क्रूड ऑयल पाइपलाइन परियोजना, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, 14, 14-ए, कृष्णा बंग्लोज, प्रहलादनगर, अहमदाबाद-380051, (गुजरात) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील : उमरेठ जिला : आणंद राज्य : गुजरात

क्र.सं.	गांव का नाम	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4
1.	पणसोरा	866 पैकी	00.0248
		866 पैकी	00.0473
2.	थामणा	876	00.0434
		1134/2	00.1049
		803/3	00.1563
3.	उमरेठ	179/3	00.0134
		180/2	00.0100
		475 पैकी	00.1134
		601/1	00.2214
		602/1	00.0274
		841	00.0008
		838	00.1172
		836	00.0232
		921	00.3304
		154	00.0055
		465	00.0300
4.	वणसोल	257/3	00.0152
		267/3	00.0539
		269	00.0303
		238/5+6	00.0440
		238/3+4	00.0388

[फा. सं. आर.-31015/23/2009-ओआर-II]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 13th August, 2009

S. O. 2173.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for transportation of crude oil from Vadinar in the State of Gujarat to Bina in the State of Madhya Pradesh, a pipeline should be laid by Bharat Oman Refineries Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date